मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /2016/तेरह भोपाल, दिनांक

प्रति

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर,/भोपाल/इंदौर।

विषयः—भुगतान न होने के कारण विच्छेदित वितरण ट्रांसफार्मर से जुड़े, संपूर्ण राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं हेतु "स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना"(घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी)।

:—:

जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों से जुड़े 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत जमा करने के उपरांत ही इन जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदले जाने का प्रावधान है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया है कि ऐसे घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जो नियमित रूप से बिलों का भुगतान करते हैं, उनका विद्युत प्रदाय प्रभावित न होने के उद्देश्य से ऐसे घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए "स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना" लागू की जाए। इस योजना के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 9.11.2016 को आयोजित की गई बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं तीनों वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक उपस्थित थे तथा चर्चा उपरांत इस योजना को सभी वितरण कंपनियों में लागू करने के संबंध में सहमति बनी थी।

अतः ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निम्न शर्तो पर "स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना" लागू करने हेतु सहमति प्रदान की जाती हैः—

1. ट्रांसफार्मर थ्री स्टार रेटिंग, बी.ई.ई. प्रमाणित कनवेंशनल, सफेद रंग का होना चाहिए।
2. ट्रांसफार्मर हेतु आवेदन करने वाले वर्तमान प्रभावित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता अनुसार तकनीकी साध्यता होने पर अन्य घरेलू एवं गैर—घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे तथा ऐसे उपभोक्ता भी रख—रखाव के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
3. ट्रांसफार्मर स्थापना से संबंधित 11 के.व्ही. लाईन तथा निम्न दाब लाईन, विद्युत वितरण कंपनी की संपत्ति होगी एवं इससे तकनीकी साध्यता होने पर लाइनों का विस्तार कर अन्य उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा।

4. ट्रांसफार्मर के रख–रखाव एवं उसके सुधार अथवा बदलने की जबावदारी, संबंधित उपभोक्ताओं की ही रहेगी।
5. कार्य की स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता द्वारा दी जाए। स्वीकृति उपरांत यह कार्य उपभोक्ताओं द्वारा 'अ' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से कराया जाए।
6. नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु आवेदक/उपभोक्ता को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित अन्य सभी शुल्क नियमानुसार जमा करने होंगे तथा उसके पूर्व के देयक लंबित नहीं होना चाहिए।
7. उपभोक्ता जिस प्रयोजन/टैरिफ श्रेणी हेतु कनेक्शन प्राप्त कर रहा है, केवल उसी प्रयोजन/श्रेणी में विद्युत का उपयोग कर सकेगा। अन्य प्रयोजन हेतु विद्युत का प्रयोग करते पाये जाने पर उपभोक्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
8. उपभोक्ताओं, जिनके आवेदन पर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, उनको अपने विद्युत कनेक्शन की भार वृद्धि अथवा स्थाई विच्छेदन इत्यादि समस्त कार्य हेतु विद्युत वितरण कंपनी मे नियमानुसार आवेदन करना होगा।
9. नियमित रूप से विद्युत बिल की राशि जमा नहीं करने पर ट्रांसफार्मर को बंद करने अथवा निकालने का अधिकार विद्युत वितरण कंपनी को रहेगा।
10. "स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना" (घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी) के अन्तर्गत लागत का 25 प्रतिशत (ट्रांसफार्मर की कीमत सहित) वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाए।
11. विद्युत वितरण कंपनी को इस योजना को निरस्त/संशोधित/स्थगित किये जाने का अधिकार रहेगा।

कृपया उपरोक्त योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाए।

(एम. धारीवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक 9012/2016/तेरह — भोपाल, दिनांक 24.11.16

प्रतिलिपि :–

प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

धारीवाल 23/11/16
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग